# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 22 / 2022(2022 / 95)

1. महावीर पुत्र श्री बरदा जाति बागरिया निवासी कालेडा कृष्णगोपाल तहसील केकडी जिला अजमेर।

—— प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. कूरी उर्फ कुंवरी पत्नी बरदा बागरिया।
2. पोल्या उर्फ पाल्या पुत्र केशा बागरिया।
3. भूरी पुत्री बरदा बागरिया।
4. मथुरा उर्फ मथरा पुत्री बरदा बागरिया।
5. रूकमा पुत्री बरदा बागरिया।
6. शांति पत्नी नंन्दा बागरिया।
7. मांग्या उर्फ मांगीलाल पुत्र केशा बागरिया।
   निवासीगण ग्राम कालेडा कृष्णगोपाल तहसील केकडी जिला अजमेर।
8. सांवरलाल पुत्र श्री मोहनलाल गुर्जर जाति गुर्जर निवासी रामपाल तहसील सरवाड जिला अजमेर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर।

—— अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित:–
प्रार्थी वकील :– श्री रामवतारा मीना
अप्रार्थी वकील– श्री गणेश सेन
पेराकार सरकार :– जरिये तहसीलदार केकडी

## आदेश

दिनांक 1.6.2022

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। प्रार्थी द्वारा संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम कालेडा कृष्णगोपाल तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी की जमाबंदी संवत 2073–76 में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है।

| खाता संख्या (नया–पुराना) | खसरा नम्बर | रकवा (है.) | किस्म |
|---|---|---|---|
| 446–275 | 50 | 0.17 | बारानी 3 |
| | 56 | 0.58 | बारानी 3 |
| | 57 | 0.07 | बारानी 3 |
| | 58 | 0.06 | बारानी 3 |
| | 59 | 0.48 | बारानी 3 |
| | 59 / 1608 | 0.15 | बारानी 3 |
| | 61 | 0.65 | बारानी 3 |
| | कुल किता 7 | कुल रकवा 2.16 | |
| 302–279 | 372 | 0.12 | बारानी 2 |
| | 373 | 0.33 | बारानी 2 |

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.08.04 13:45:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 411<br>412 | 0.30<br>0.25 | बारानी 2<br>बारानी 2 |
| | कुल किता 4 | कुल रकबा 1.00 | |
| 306–275 | 60 | 0.04 | गै.मु.खान |
| | कुल किता 1 | कुल रकबा 0.04 | |
| 308–277 | 374<br>407<br>408<br>409<br>410 | 0.26<br>0.11<br>0.18<br>0.30<br>0.12 | बारानी 2<br>बारानी 2<br>बारानी 2<br>बारानी 2<br>बारानी 2 |
| | कुल किता 5 | कुल रकबा 0.97 | |
| 52–224 | 60 / 1655<br>61 / 1607 | 0.08<br>0.20 | बारानी 3<br>बारानी 3 |
| | कुल किता 2 | कुल रकबा 0.28 | |
| 479–526 | 51<br>52 | 0.63<br>0.41 | बारानी 3<br>बारानी 3 |
| | कुल किता 2 | कुल रकबा 1.04 | |

उपरोक्त आराजी प्रार्थि की खातेदारी की अराजीयात है तथा प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है। वर्णित आराजी प्रार्थी की स्वयं की अराजी है आराजी प्रार्थि के संयुक्त कब्जे, स्वामित्व व आधिपत्य मे चली आ रही है प्रार्थि की उक्त आराजी के सीमा चिन्ह खुर्दबुर्द हो गये तथा पडोसियों से आये दिन कब्जे काश्त में लड़ाई झगडे होते है। क्योंकि उक्त आरजी पर अप्रार्थीगण अवैध व गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की नियत रखते है साथ ही प्रार्थि को अपने हिस्से की आराजीयात पर फसल सुरक्षार्थ तारबन्दी करवानी है इसलिये प्रार्थि द्वारा पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया है प्रार्थि को उपरोक्त आरजी की नियमानुसार पत्थरगढी करवाना चाहते है। जिससे मौके पर पुख्ता निशान कायम किये जा सके। ताकि आये दिन प्रार्थि को अप्रार्थीगण से विवाद नही करना पड़े एवं सौहार्द पूर्ण वातावरण बना रहे तथा बहुवाद कार्यवाहियों मे उलझना नही पडे, इसलिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। प्रार्थि को आराजीयात में आवश्यक कार्य करने गयी तो पड़ोसियो ने सीमा चिन्ह नही होने से धमकी दी कि यहां तक हमारा खेत है तथा उक्त सीमा चिन्हों के अभाव में हमारे खेत में हंकाई बुवाई भी नही करने दी जिससे उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया है। प्रार्थि ने पूर्व में भी आराजीयात का सीमा ज्ञान करने हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 6.5.2022 को उपस्थित खातेदारान व अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में मौका पर्चा रिपोर्ट तैयार की गई, लेकिन इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण नही मान रहे है। अतः प्रार्थी द्वार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्त आराजी पर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 की ओर से पत्थरगढ़ी किये जाने में कोई आपत्ति नही होना बताया। अप्रार्थी संख्या 8 की ओर से भी कोई आपत्ति नही होना बताया। पैरोकार सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी द्वारा राजहित प्रभावित नही होना बताया। पक्षकारान की बहस सुनी।

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.08.04 13:45:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी बाके ग्राम कालेडा कृष्णगोपाल तहसील केकडी की जमाबन्दी संवत 2073–76 के खाता संख्या नया पुराना 446–275 के कुल किता 7, कुल रकबा 2.16हैक्टर तथा खाता संख्या नया–पुराना 302–279 के कुल किता 4, कुल रकबा 1.00हैक्टर, खाता संख्या नया–पुराना 306–275 के कुल किता 1, कुल रकबा 0.04, खाता संख्या नया–पुराना 308–277, कुल किता 5, कुल रकबा 0.97हैक्टर तथा खाता संख्या नया–पुराना 52–224 के कुल किता 2, कुल रकबा 0.28हैक्टर तथा खाता संख्या नया–पुराना 479–526 के कुल किता 2, कुल रकबा 1.04हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
केकडी

उपखण्ड अधिकारी केकडी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.08.04 13:45:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner